राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

क्रमांकः एफ 1008(9)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/129 दिनांक : 08-02-2016

<u>**कार्यालय आदेश**</u>

विषयः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा एवं निजी अस्पतालों को योजना से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में प्रेरित करने बाबत।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जिलेवार समीक्षा करने तथा निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित करन हेतु जोन, संयुक्त निदेशक उनके प्रभार के जिलों की दिनांक 11.02.2016 से 20.02.2016 तक प्रत्येक जिले में दो बैठकों का अलग अलग आयोजन करेंगे। इन बैठकों में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:–

1. संयुक्त निदेशक, संभाग।
2. जिला प्रभारी अधिकारी (आदेश क्रमांक F.DOHFW/1008()/SBY/UH/M&H/07 दिनांक 02.12.2015 द्वारा नियुक्त)
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. चिकित्सा संस्थान के नोडल अधिकारी
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. डीपीएम एनएचएम
7. डीपीएम एनयूएचएम

<u>**प्रथम बैठकः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की संस्थावार समीक्षा**</u>

जिन राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है, उन सभी संस्थानों में निम्नांकित बिन्दुओं का सुनिश्चित किया जावे:

1. जहां तक सम्भव हो सके अस्पताल में भर्ती काउन्टर एवं भामाशाह काउन्टर साथ साथ हो अथवा अधिक दूरी पर ना हो।
2. भामाशाह काउन्टर पर प्रचार प्रसार सामग्री पर्याप्त मात्रा में हो।
3. अस्पताल द्वारा चुने गये पेकेजे की सूची भामाशाह काउन्टर पर बड़े अक्षरों में पोस्टर पर लगाई जानी चाहिए।
4. काउन्टर पर हार्डवेयर, यथा कम्प्यूटर, फिंगर प्रिन्ट स्केनर, वेब कैमरा, इन्टरनेट कनेक्शन इत्यादि का इतंजाम हो गया है।
5. स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शक के अवकाश पर रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
6. प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए एक अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
7. निदेशालय द्वारा चाही गई हास्पिटल मास्टर एवं आरएमआरएस के बैंक अकाउन्ट से सम्बन्धित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को प्रेषित कर दी है। जोन के सभी

8. चिकित्सा संस्थाओं की इकजाई सूचना संलग्न प्रपत्रों में माइक्रोसोफ्ट एक्सल में प्रेषित की जावे।
9. चिकित्सा संस्थानों पर योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को तीन भागों में विभाजित करते हुये सूचीबद्ध किया जावे।
    - दिशा निर्देश सम्बन्धी समस्याएं
    - सोफ्टवेयर सम्बन्धी समस्याएं
    - बीमा क्लेम से सम्बन्धी समस्याएं
10. चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एवं आमजन से योजना के उन्नयन हेतु प्राप्त सुझाव

योजना के दिशा निर्देश एवं समय समय पर जारी परिपत्र, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परन्तु जारी परिपत्रों को सम्मलित करते हुए संशोधित दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

<u>द्वितीय बैठकः निजी चिकित्सा संस्थानों को प्रेरित करने बाबत बैठक</u>

1. सभी निजी चिकित्सा संस्थानों के मालिक अथवा अस्पताल प्रबन्धक की अलग से बैठक ली जाकर उन्हें योजना से जुड़ने की प्रेरणा दी जानी चाहिए।
2. राज्य सरकार की यह मंशा है कि प्रत्येक जिला स्तर पर टर्शरी पेकेजेज से सम्बन्धित कम से कम एक अस्पताल तथा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर टर्शरी अथवा सेकैण्ड्री पेकेजज से सम्बन्धित कम से कम एक निजी अस्पताल को योजना से जोड़ा जावे।
3. सभी अस्पतालों को योजना की सामान्य जानकारी दी जावे तथा राज्य सरकार के इस जन कल्याण कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जावे। इससे जन सामान्य को तो लाभ मिलेगा, साथ–साथ उनके अस्पताल को भी लाभ मिलेगा।
4. पेकेजेज के सम्बन्ध में निजी अस्पतालों को विस्तार से बताया जावे। कोई भी अस्पताल जिसमें सम्बन्धित पेकेजेज की प्रक्रिया के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, ले सकता है।
5. जिन पेकेजे दरों के कारण निजी अस्पताल प्रक्रिया करने में सहमति नहीं दे रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जावे।
6. निजी अस्पतालों को यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि यदि वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत empaneled नहीं होगे, तो उन्हें अन्य योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए स्वीकृत अस्पतालों की सूची में से अलग कर दिया जायेगा।
7. यदि किसी अस्पताल को राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा रियायती दरों पर जमीन दी गई है, अथवा किसी भी अन्य योजना में किसी भी प्रकार की रियायत दी गई है, तो उसे योजना से जुडना ही होगा, अन्यथा दी गई रियायत वापिस ले ली जायेगी।

8. यद्यपि योजनान्तर्गत जुड़ने के लिए निजी अस्पतालों के लिए शहरी सेल में न्यूनतम 30 बिस्तर की सीमा निर्धारित की गई है, जिसे माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार 15 बिस्तर कर दिया गया है। साथ ही इस निदेशालय के परिपत्र संख्या क्रमांकः एफ 1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/59 दिनांक 02.01.2016 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह समिति अस्पताल की पात्रता में छूट प्रदान कर सकती है।
9. निजी अस्पतालों को योजना से सम्बद्ध होने के लिए न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी को आवेदन करना है। आवेदन का प्रारूप इसके साथ **परिशिष्ट–1** पर लगाया गया है। अस्पतालों को यह स्पष्ट कर दें कि आवेदन की एक प्रति जिला स्तरीय समिति तथा एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान हेल्थ केयर एश्योरेन्स एजेन्सी को भी प्रेषित करावे।
10. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में योजना के मिड टर्म करेक्शन हेतु एक समिति के गठन किया गया है, जो पेकेज की दरों, क्षेत्रीय स्तर पर आ रही कठिनाईयों एवं सोफ्टवेयर सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।

1. **जो अस्पताल योजना से संबद्ध हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में** डीपीएम एनएचएम तथा डीपीएम एनयूएचएम एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर द्वारा निम्न बिंदुओं की क्रियान्वति **सुनिश्चित की जावे :–**
2. इलाज के लिए अस्पताल आते समय सभी रोगी अपना राशन कार्ड रूप से साथ में लाएं इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से होना चाहिए।
3. अस्पताल पर भामाशाह स्वास्थ्य योजना का बोर्ड लगा हो और लिखा हो कि "यहां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निशुल्क इलाज किया जाता है।"
4. अस्पताल के मुख्य द्वार पर चुने गये पैकेज की लिस्ट भी प्रदर्शित होनी चाहिए।
5. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना डेस्क स्थापित हो, जिस पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक कार्यरत होना चाहिए। योजना अन्तर्गत डेस्क पर कम्पयूटर हार्डवेयर, पॉवर बैक अप के साथ लगाया गया हो।
6. स्वास्थ्य मार्गदर्शक का प्रशिक्षण हो गया है, नहीं होने की स्थिति में bsbyraj@gmail.com पर सूचित करें।
7. अस्पताल द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

8. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पहचान करने हेतु राशन कार्ड, आर.एस.बी.वाई. कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है।
9. योजना से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए निम्न लिखित सेसम्पर्क करें :–
10. सोफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं के लिए bsbydoit@gmail.com पर ईमेल करें एवं डॉ अवतार सिंह दुआ 8107789255 एवं श्री तपन कुमार 9413387307 पर सम्पर्क करें।
11. योजना से संबंधित समस्याओं के लिए योजना के टोल फ्री नम्बर 18001806127 पर सम्पर्क करें।
12. सरकारी एवं निजी संस्थाओं के यूजर आई डी एवं पासवर्ड से संबंधित समस्या एवं बीमा कम्पनी से क्लेम संबंधित सम्सयाओं के लिए श्री ललित जैन 9829123223 या 0141–2643814 / 15 / 16 पर सम्पर्क करें।
13. उपरोक्त के संदर्भ में bsbyraj@gmail.com पर ईमेल करें।

सभी संयुक्त निदेशक प्रत्येक जिले में बैठक आयोजित कर **दोनों प्रकार की बैठकों की रिपोर्ट विस्तृत में अपनी टिप्पणी सहित अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित करेगें।**

(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, NHM
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेन्सी

क्रमांकः एफ 1008(9) / एनएचएम / भामा.स्वा.बीमा योजना / 2015–16 / 123 **दिनांक :** 08-02-2016

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक,जन स्वास्थ्य।
4. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (समस्त संभाग)।
7. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, NHM
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेन्सी